

अपील संख्या 864 / 2011 / श्रीगंगानगर

मैसर्स एन.एम.एक्सपोर्ट्स

श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त 'अ', श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री सुरेश ओझा

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 25.08.2014

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 104/आरवैट/श्रीगंगानगर/2009-10/ में पारित आदेश दिनांक 19.11.2010 के विरुद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि 2006-07 में दिनांक 7.2.2007 से पूर्व वैट चुकाकर ग्वार, ग्वार गम एवं ग्वार स्प्लिट की खरीद की गई थी। राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005-126 दिनांक 8.2.2007 द्वारा ग्वार को कर मुक्त घोषित कर दिया। इसके पश्चात एक अन्य अधिसूचना क्रमांक एफ.12(15) एफडी/टैक्स/2008-84 दिनांक 25.2.2008 जारी कर दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 के मध्य अनुसूची III, I, V and VI में किये गये संशोधन को दिनांक 1.4.2006 से प्रभावी माना तथा साथ ही राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) में संशोधन कर इसमें नई धारा 97 ए जोड़ी गई, जिसके अन्तर्गत इनपुट टैक्स रिवर्स करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने दिनांक 29.8.2008 को एक और अधिसूचना जारी कर ग्वार, ग्वार गम, स्प्लिट को अधिसूचना दिनांक 8.2.2007 एवं 25.2.2008 को जारी अधिसूचना से बाहर कर दिया अर्थात् ग्वार को दिनांक 7.2.2007 से ही कर मुक्त माना गया है। इस प्रकार ग्वार को कर मुक्त किये जाने की अधिसूचना दिनांक 26.8.2008 भूतलक्षी प्रभाव रखती है तथा अधिनियम की धारा 97 ए पूर्णतया लागू होती है। वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त ए, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उक्त आधार मानकर अपीलार्थी व्यवहारी के पास दिनांक 8.2.2007 को शेष रहे माल ग्वार के प्रारम्भिक स्टॉक पर आई टी सी नहीं दिया एवं जिसे रिवर्स किये जाने योग्य माना तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर ग्वार के दिनांक 8.2.2007 के प्रारम्भिक स्टॉक



पर धारा 2 (33) के अनुसार आई टी सी रिवर्स नही किये जाने के कारण दिनांक 8.2.2007 के स्टॉक रू. 3,21,00,995/- पर 4 प्रतिशत की दर से रू. 12,84,040/- का रिवर्स कर आरोपित कर दिया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चतुर्थ तिमाही विवरण पत्र वैट-10 संशोधित कर दिनांक 16.10.2007 को पेश की, इसमें वैट इनवायस संख्या 59 दिनांक 2.3.2007 से कीत माल सरसों पर रू. 5,29,774/- का आई टी सी कर निर्धारण अधिकारी ने देरी से पेश करने के कारण अस्वीकृत किया, जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत आई टी सी को यथावत रखते हुए ग्वार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आरोपित कर रू. 12,48,040/- को अपास्त किया है तथा प्रस्तुत प्रकरण लेखा परीक्षण की गणना से सम्बन्धित होने के कारण उक्त बिन्दु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया कि अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.) वाणिज्यिक कर, जयपुर के Determination दिनांक 22.2.2010 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः विस्तृत जांच कर नियमानुसार कर निर्धारण कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के विरुद्ध यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

बहस प्रारम्भ होने पर प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 19.11.2010 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के प्रश्चात दिनांक 14.03.2012 को कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया है इसलिए अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील सारहीन (Infructuous) हो गयी है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59] के अभिनिर्णय में एवं 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी. टी.) का हवाला दिया।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मैसर्स के. एस. एण्टरप्राइजेज के वैट 59 दिनांक 2.3.2007 से सरसों की खरीद की गई थी, जिस पर रू. 5,29,774/- का आई.टी.सी. क्लेम करने से रिटर्न में रह गया था, जिसके कारण उसके द्वारा चतुर्थ तिमाही का विवरण पत्र वैट-10 संशोधित कर दिनांक 16.10.2007 को पेश किया गया, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इसे देरी से पेश करना मानते हुए अधिनियम की धारा 18(2) के सम्बन्ध में कोई जवाब पेश नहीं करने के कारण उक्त क्लेम को अस्वीकार कर दिया, जो नियम विरुद्ध है, क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारदी वार्षिक विवरण पत्र वैट-10 से पूर्व विवरणी को संशोधित कर सकता है, जो कि 16.10.2007 को पेश किया गया इसलिए अस्वीकृत आई.टी.सी. रू. 5,29,774/- को





निरस्त किया जाये। उन्होंने गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।


दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2010 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्वार एवं इसके उत्पाद पर दिनांक 8.2.2007 के प्रारम्भिक स्टॉक रू. 3,21,00,995/- पर 4 प्रतिशत की दर से रू. 12,84,040/-का अधिरोपित रिवर्स टैक्स विधिसम्मत नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है और इस रिवर्स टैक्स को अदेय मानकर अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रू. 3,08,170/-आरोपित किया गया था,जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 29.9.2009 के द्वारा संशोधित कर उसे हटा दिया है,इसलिए इस बिन्दु पर निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2010 के अनुसार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.03.2012 को आदेश पारित किया जा चुका है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 19.11.2010 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त,वैट एण्ड आई.टी के निर्णय (Determination) दिनांक 22.2.2010 के प्रकाश में, ग्वार पर आरोपित रिवर्स रिटन एवं ब्याज समाप्त कर आलोच्य वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण दिनांक 14.03.2012 को पारित कर दिये जाने के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध विचाराधीन अपील वर्तमान में सारहीन (Infructuous) हो गयी है तथा इस पीठ के स्तर पर निर्णय योग्य नहीं रहती हैं। राजस्व की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों यथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59] के अभिनिर्णय में एवं 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्वारा खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य